UPRN010053812021

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट संख्या–4, कानपुर देहात।

पीठासीन अधिकारी– श्री अजय कुमार सिंह–II, **(उच्चतर न्यायिक सेवा)**–UP01536

सेशन केस संख्या–1351/2021

उत्तर प्रदेश सरकार

––अभियोजन पक्ष

प्रति

शशिभूषण पुत्र वंशलाल, निवासी विवेकानन्द नगर पुखरायाँ, थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।

––अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्याः–661/2018

धाराः– 135 भारतीय विद्युत अधिनियम।

थानाः–भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।

निर्णय

1– अभियुक्त शशिभूषण के विरूद्ध पुलिस थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–661/2018 अन्तर्गत धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003, थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात के अपराध में परीक्षण हेतु आरोप पत्र प्रेषित किया गया जिसके आधार पर विचारण किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथन है कि वादी मुकदमा श्री बलराम सिंह, अवर अभियन्ता द्वारा थानाध्यक्ष, कोतवाली भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात को इस आशय की तहरीर दी गयी कि उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार दिनांक 26/27–05–2018 की रात्रि समय लगभग 23:35 बजे से 3:50 बजे तक राजस्व वसूली एवं सघन विद्युत चोरी अभियान के अन्तर्गत वादी मुकदमा मय हमराही विद्युत कर्मियों के साथ पुखरायाँ नगर के विभिन्न मोहल्लो/क्षेत्र में विद्युत चेकिंग के दौरान परिसरों/संयोजनों को चेक किया तो पाया कि श्री शशिभूषण पुत्र वंशलाल मौके पर पास की एल०टी० लाइन से केबिल जोड़कर विद्युत का

उपयोग करते पाये गये। मौके पर उपस्थित व्यक्ति से संयोजन संबंधी प्रपत्र मांगने पर कोई भी संयोजन संबंधी प्रपत्र नहीं दिखा पाये।उक्त को अपराध से अवगत कराकर संयोजन को पुनः विच्छेदित करा दिया। याचना की गयी कि प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाये।

3– उपरोक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात में उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचनाधिकारी के द्वारा मामले की विवेचना की गयी। मौके का नक्शा नजरी तैयार किया गया। साक्षीगण एवं अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया। तदोपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 का न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4– अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आया। उसके विरूद्ध दिनांक 18–05–2026 को आरोप अन्तर्गत धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम का विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिसे अभियुक्त ने इंकार किया और विचारण की मांग की।

5– अभियोजन/विद्युत विभाग की ओर से साक्षी पी०डब्लू०–1 के रूप में श्री राजकमल पप्पू, अवर अभियन्ता को परीक्षित किया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने से इंकार करने पर साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया। अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1, नकल जी०डी० प्रदर्श क–2, नक्शा नजरी प्रदर्श क–3, आरोप–पत्र प्रदर्श क–4 एवं अधिशाषी अभियान्ता द्वारा प्रेषित पत्र प्रदर्श क–5 को प्रस्तुत कर साबित कराया गया है।

6– अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी साक्ष्य सुनिश्चित करने के उपरान्त पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० नियत की गयी। अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि वह निर्दोष है तथा रंजिशन मुकदमा चलाये जाने का कथन किया। अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य दिये जाने से इंकार किया गया।

7– राज्य की ओर से विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

8– अभियोजन की ओर से परीक्षित अभियोजन साक्षी संख्या–1 श्री राजकमल पप्पू, अवर अभियंता को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है, ने अपने साक्ष्य में बयान दिया है कि दिनांक 26–05–2018 को अवर अभियन्ता बलराम सिंह द्वारा सहयोगी कर्मचारियों के साथ चेकिंग के दौरान पाया कि अभियुक्त शशिभूषण नजदीकी एल०टी० लाइन से कटिया डालकर विद्युत चोरी एवं उपभोग करते पाये गये थे, जिसकी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना

भोगनीपुर में दर्ज करायी गयी थी, जो संलग्न पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया है। जी०डी० कायमी संलग्न पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा नक्शा नजरी तैयार कर दाखिल किया गया है, जो संलग्न पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा आरोप सत्य पाते हुए, आरोप–पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया, जो संलग्रन पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड पुखरायाँ द्वारा जारी पत्र धारा 152 पत्रांक संख्या–214 दिनांकित 14–01–2026 संलग्न पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया।

9– अभियुक्त द्वारा साक्षी से कोई जिरह नहीं की गयी। इसके उपरान्त अभियोजन साक्ष्य समाप्त हुआ।

10– अभियोजन की ओर से परीक्षित अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 श्री राजकमल पप्पू ने अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अभियुक्त द्वारा उसके द्वारा बकाया विद्युत बिल व शमन शुल्क व विद्युत बकाये का भुगतान किया जा चुका है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए विभाग का शमन शुल्क व विद्युत बकाया बिल जमा कर दिया गया जिसके संबंध में विद्युत विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र पत्रावली में प्रेषित किया गया है। उक्त प्रपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपभोक्ता द्वारा शमन शुल्क 8000.00 रूपये, राजस्व निर्धारण 7167.00 रूपये व बकाया धनराशि 1656.00 रूपये, जमा कर दिया गया जिसके संबंध में विद्युत विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र पत्रावली में दाखिल किया गया है। उक्त प्रपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपभोक्ता द्वारा सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

11– धारा 152 विद्युत अधिनियम 2003 में यह प्राविधान किया गया है कि समुचित सरकार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी उपभोक्ता अथवा ऐसे व्यक्ति से जिसने अधिनियम के अधीन दण्डनीय विद्युत की चोरी का अपराध कारित किया है अथवा जिस पर युक्ति युक्त ढंग से उसके कारित किये जाने का सन्देह है तालिका में दिये हुये अपराध के समाधान के रूप में धनराशि प्राप्त कर सकेगा। धारा 152(2) भारतीय विद्युत अधिनियम में यह प्राविधान किया गया है कि उपधारा–1 के अनुसार धन की राशि का संदाय होने पर उस अपराध के संबंध में अभिरक्षा में कोई भी व्यक्ति मुक्त कर दिया जायेगा और किसी भी आपराधिक न्यायालय में उस उपभोक्ता के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही संस्थित अथवा जारी नहीं रखी जायेगी। धारा 152(3) विद्युत अधिनियम में यह भी प्राविधान किया गया है कि समाधान करने के लिये धन की राशि की प्राप्ति धारा 300 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दोषमुक्त मानी जायेगी।

12– प्रस्तुत मामले में अभियुक्त ने विद्युत विभाग के द्वारा विद्युत बकाया, शमन शुल्क, जमा कर दिया है जिसके संबंध में विद्युत वितरण खण्ड–पुखरायाँ, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, 33/11 के०वी० उपसंस्थान पुखरायाँ, कानपुर देहात द्वारा निर्गत प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम समाधान होने के आधार पर दोषमुक्त किये जाने का अधिकारी है।

आदेश

13– अभियुक्त शशिभूषण को मुकदमा अपराध संख्या–661/2018 अन्तर्गत धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003, थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। उसके जमानतनामें एवं प्रतिभू निरस्त करते हुए उन्हें उत्तर दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

14– धारा 437 ए दं०प्र०सं० के प्रावधान के अनुपालन में अभियुक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय के विरुद्ध अपील किये जाने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा एवं अभियुक्ता मुबलिग 20,000/=रुपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा इतनी ही समराशि के दो प्रतिभू दाखिल करें।

दिनांक– **24.07.2026**

(अजय कुमार सिंह–II)
आई०डी०–UP01536
विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–4,
कानपुर देहात।

15– आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक– **24.07.2026**

(अजय कुमार सिंह–II)
आई०डी०–UP01536
विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–4,
कानपुर देहात।

Digitally signed by AJAY KUMAR SINGH
Date: 2026.07.28 11:01:02 IST
Reason: ADJ Court N0 4
Location: District and Sessions Court